

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक:- 222 /FP/UK/ROAD/12840/2015 दिनांक:देहरादून 19, जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,
देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत नौटी छातोली मोटर मार्ग का ग्राम जखेट तक विस्तार।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 106/12-1 दिनांक 11-07-2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-


क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil. this may be reviewed.	Part-I के Column A-I (iii) में संशोधित कर 99 वर्ष upload किया गया है।
2	The components listed under component wise breakup states Bhatgwali including muck dumping. the component wise breakup may be given stating the various components of the proposal.	Component wise breakup तथा रोड मकडिस्पोजल Part-I के Column A-I (x) में संशोधन कर upload किया गया है।
3	On viewing the proposal in Google Earth, it seems that there is an existing path about 50 m on the eastern side of the proposed alignment, following which perhaps the majority of trees proposed for felling could be saved. this alternate may be examined.	इस बिन्दु के अनुसार 50 मी0 alignment, proposed करने का प्रयास किया गया, परन्तु तकनीकी व भौगोलिक रूप से इस स्थल का संरक्षण परिवर्तित करना सम्भव नहीं है।
4	Soft copies of shapefiles indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station may be provided.	Geo referenced map digital map की shape file सी0डी0 में राईट कर अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।



5	The end points of the proposed road and the alternate examined are far apart from each other. The alternate may be re-examined.	alignment, proposed हेतु कुछ दूरी हेतु ही चयन किया जाना सम्भव था, इसलिये भौगोलिक व तकनीकी रूप से एक ही संरक्षण को उपर्युक्त पाया गया है जिसे भू-वैज्ञानिक द्वारा भी उपर्युक्त बताया गया है। भौगोलिक विषयता के कारण alternate alignment पूर्ण लम्बाई में बनाना नहीं है।
6	Compensatory afforestation scheme suggests that Bottlebrush, Morpankhi trees will be planted in lieu of loss of 94 trees of forest species like Quercus etc. This may be revised and efforts may be made to plant more number of Quercus trees in compensatory afforestation.	आदेशानुसार प्राक्कलन को संशोधित में (Additional information details) कर अपलोड किया गया है।
7	From the persual of species and vegetation density it appears that the area falls in Eco Class VI under the category of dense forest. NPV calculation may be revised in view of this	Part-II में संशोधित कर अपलोड किया गया है।
8	Is has been mentioned in point no.8 of Part 2 th at rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, no ameliorative measures have been suggested for its protection. this information may be provided.	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु याचित भूमि सिविल एवं पंचायती है। क्षेत्र में वन्य जन्तु तथा वनस्पति इत्यादि का प्रभाव नगण्य है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु अन्य संरक्षणों को तलास किया गया, अन्य संरक्षणों में प्रस्तावित संरक्षण से अत्यधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे थे तथा अन्य संरक्षण पर्यावरणीय दृष्टि से उपर्युक्त नहीं है।

संलग्नक--यथोपरि।

भवदीय,



(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-
सेवा में,

106 / 12-1

गोपेश्वर,

दिनांक 11 जून 2016

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक/ वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- नौटी छातोली मोटर मार्ग का ग्राम जखेट तक विस्तार।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 का पत्रांक 833/1 सी0 (वन) दिनांक 10-06-2016
महोदय,

विषयोंकित प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गई आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil. This may be reviewed.	Part 1 के Column A-1 (iii) में संशोधित कर 99 वर्ष upload किया गया है।
2	The components listed under component wise breakup states 'Bhatgwali including muck dumping'. The component wise breakup may be given, stating the various components of the proposal.	component wise breakup तथा रोड मकडिस्पोजल Part 1 के Column A-1(x) में संशोधन कर upload किया गया है।
3	On viewing the proposal in Google Earth, it seems that there is an existing path about 50 m on the eastern side of the proposed alignment, following which perhaps the majority of trees proposed for felling could be saved. This alternate may be examined.	इस बिन्दु के अनुसार 50 मीटर alignment, proposed करने का प्रयास किया गया, परन्तु तकनीकी व भौगोलिक रूप से इस स्थल का संरक्षण परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।
4	Soft copies of shapefiles indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station may be provided.	geo referenced map digital map की shape file सी0डी0 में राईट कर अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
5	The end points of the proposed road and the alternate examined are far apart from each other. The alternate may be re-examined.	alignment, proposed हेतु कुछ दूरी हेतु ही चयन किया जाना सम्भव था, इसलिए भौगोलिक व तकनीकी रूप से एक ही संरक्षण को उपयुक्त पाया गया है जिसे भू- वैज्ञानिक द्वारा भी उपयुक्त बताया गया है। भौगोलिक विषयता के कारण alternate alignment पूर्ण लम्बाई में बनाना सम्भव नहीं है।
	Compensatory afforestation scheme suggests that Bottlebrush, Morpankhi trees will be planted in lieu of loss of 94 trees of forest species like Quercus etc. This may be revised and efforts may be made to plant more number of Quercus trees in compensatory afforestation.	आदेशानुसार प्राक्कलन को संशोधित Part II में Additional information Details) कर अपलोड किया गया है। (संलग्न)
7	From the perusal of species and vegetation density it appears that the area falls in Eco Class VI under the category of dense forest. NPV calculation may be revised in view of this.	Part II में संशोधित कर अपलोड किया गया है।

8	<p>It has been mentioned in point no. 8 of Part 2 that rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, no ameliorative measures have been suggested for its protection. This information may be provided.</p>	<p>प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु याचित भूमि सिविल एवं पंचायती है। क्षेत्र में वन्य जन्तु तथा बनस्पति इत्यादि का प्रभाव नगण्य है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु अन्य संरक्षणों को तलास किया गया, अन्य संरक्षणों में प्रस्तावित संरक्षण से अत्यधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे थे तथा अन्य संरक्षण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।</p>
---	--	---

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 गौचर के उक्त संदर्भित पत्र के साथ मय सीडी उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को इस आशय से प्रेषित की उक्त geo referenced map digital map की shape file सी0डी0 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नीतू लक्ष्मी एम0)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:—छातोली कल्याणी मोटर मार्ग से ग्राम जखेट तक विस्तार

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:—

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का धनत्व.....0.2
- 3-एन0पी0वी0 की दर6,57,000.00
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....0.17 है0
- 5-कुल देय एन0पी0वी0.....रू0 1,11,690.00

(नीतू लक्ष्मी/एम0)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

भा0 मुख्यमंत्री की घोषणा से राज्य योजना अर्न्तगत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छांतोली मोटर मार्ग का स्थान जखेट तक 1.00 किमी विस्तार हेतु 0.140 है0 सिविल वन भूमि तथा 0.030 है0 उत्सर्जित मलवे के निस्तारण कुल 0.170 है0 वन भूमि का लो0 नि0 बि0 को हस्तान्तरण के ऐंज में दो गुना क्षेत्रफल 1 है0 से कम होने के कारण प्रभावित होने वाले 94 वृक्षों के 10 गुना 940 पौधों के रोपण का प्राक्कलन

परियोजना का नाम-: मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा से राज्य योजना अर्न्तगत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छांतोली मोटर मार्ग का स्थान जखेट तक 1.00 किमी विस्तार हेतु 0.140 है0 सिविल वन भूमि तथा 0.030 है0 उत्सर्जित मलवे के निस्तारण कुल 0.170 है0 वन भूमि का लो0 नि0 बि0 को हस्तान्तरण ।

वृक्षारोपण स्थल का नाम-: कर्णप्रयाग से नौटी मोटर मार्ग के दोनो तरफ बिभिन्न उपयुक्त स्थलों पर 940 छायादार एंव शोभायमान प्रजाति के वृक्षों का रोपण।

वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल-: क कर्णप्रयाग से नौटी मोटर मार्ग के दोनो तरफ बिभिन्न उपयुक्त स्थलों पर 940 छायादार एंव शोभायमान प्रजाति के वृक्षों का रोपण।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या -940 पौध

रोपित किये जाने वाले प्रजाति का नाम -: बाँज हरीज मौरू आदि प्राकृतिकवास के अनुसार

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर-नागनाथ वन क्षेत्र

क्रम सं0	कार्य का नाम	इकाई	दर	धनराशि
प्रथम वर्ष				
1	पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड क्रय करना मय दुलान सहित	940सं0	1200.00प्र0	1128000.00
2	गड्डे खुदान कार्य पर व्यय (0.600×0.60×0.60)	940सं0	10.84	10189.60
3	अन्य व्यय जैसे संयंत्र क्रय करना औजार तेज करना	ल0सं0	—	20000.00
प्रथम वर्ष योग				1158189.60

द्वितीय चरण

1	गड्डे भरान कार्य (0.600×0.60×0.60)	940सं0	1.58	1485.20
2	पौधों की कीमत (प्रथम व द्वितीय चरण)	940सं0	6.00	5640.00
3	पौध दुलान का कार्य पर व्यय	940सं0	7.00	6580.00
4	पौध रोपण तथा थालावन्दी कार्य पर व्यय	940सं0	1.72	1616.80
5	खाद, उर्वरक व अन्य व्यय	940सं0	ल0 सं0	5000.00
6	दो वार निराई गुड़ाई व मलबिंग पर व्यय	940सं0	2.19	2058.60
7	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (7)माह	—	3692.00/—	51688.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखी धास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	—	—	—
9	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना	—	—	—
10	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना। 1- प्रशिक्षण	10.00 रो0 किमी		
		01	5000.00/—	5000.00
		01	1500.00/—	1500.00
11	साइन बोर्ड कन्सी, सुतली, बेरी, एंव पौलथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी, प्रचार प्रसार व डोक्युमेंटेशन आदि कार्य	ल0 सं0	20000.00	20000.00
योग द्वितीय चरण				100568.60

तृतीय वर्ष

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	3877.00/ प्र0 माह	93048.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखी धास फूस एंव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	10.00 रो0 किमी	—	—
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	10.00 रो0 किमी	—	—
4	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना। 1- प्रशिक्षण-	10.00 रो0 किमी		
		01	5000.00/—	5000.00
		01	1500.00/—	1500.00
योग तृतीय चरण				99548.00

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	4071.00/— माह	97704.00
योग चतुर्थ चरण				97704.00

पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	4275.00/— माह	102600.00
योग पंचम चरण				102600.00

षष्ठम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	4489.00/— माह	107736.00
योग षष्ठम चरण				107736.00

सप्तम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	4713.00/— माह	113112.00
योग सप्तम चरण				113112.00

अष्टम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	4949.00/— माह	118776.00
योग अष्टम चरण				118776.00

नवम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	5196.00/— माह	124704.00
योग नवम चरण				124704.00

दशम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 2 श्रमिक (12)माह	10.00 रो0 किमी	5456.00/— माह	130944.00
योग दशम चरण				130944.00

नोट - प्राक्कलन में तृतीय वर्ष से दशम वर्ष तक श्रमिक की पारिश्रमिक दर में 5% वृद्धि करते हुये दर लगायी गयी है।

सम्पूर्ण योग - 2153882.20
सा रू0 - 2153882.00

उप वृ संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
शुद्ध वन क्षेत्र (पौध)